रजिस्टर सं० डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 9, 1981 (वैशाख 19, 1903)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 9, 1981 (VAISAKHA 19, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और सांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	379
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	593
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और सांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	581
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग III—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्टें	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर और केन्द्रीय प्राधिकरणों) (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए सामान्य सांविधिक नियम (जिन में सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खंड 3-क—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उप-विधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	5115
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	245
भाग III—खंड 3—मुख्य-आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अन्य द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	45
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1381
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	81
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु आदि के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	379
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	593
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	581
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committees on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3-A.—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in section 3 or section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	6115
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	245
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	45
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1281
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	81
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 1981

सं० एम०-12038/1/81-एस० ई० एम० ई० पी०—1980-85 की छठी पंच वर्षीय योजना में रोजगार सृजित करने और गरीबी को दूर करने पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। योजना विशेष रूप से स्व-रोजगार के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों, स्कीमों और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विकेन्द्रित नीति पर निर्भर करती है। इस प्रयोजन के लिए छठी योजना की अवधि में देश के प्रत्येक जिले में जिला जनशक्ति आयोजन और रोजगार सृजन परिषद् गठित करने का प्रस्ताव है। इस परिषद् को जिला रोजगार कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र जिला कृषि कार्यालय अग्रणी बैंक आदि द्वारा सहायता दी जाएगी।

2. जिला परिषदों के कार्यकरण का निरीक्षण करने के लिए और रोजगार आयोजन के मामलों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए केन्द्र में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्णय किया गया है। इस समिति को स्व-रोजगार के लिए राष्ट्रीय स्तर संदर्शन समिति कहा जाएगा। इसका गठन और विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं —

गठन

अध्यक्ष

1. डा० एम० एस० स्वामीनाथन सदस्य योजना आयोग

सदस्य

2. सचिव, श्रम मंत्रालय
3. सचिव, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय
4. सचिव, उद्योग मंत्रालय
5. अपर सचिव, बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय
6. डा० एम० नन्जुनदप्पा, योजना सचिव कर्नाटक सरकार
7. डा० आर० के० दर योजना सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
8. श्री एम० एस० पालनिटकर, विशेष सचिव (आयोजन) महाराष्ट्र सरकार
9. श्रीमती माधुरी शाह अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
10. डा० गौतम माथुर, निदेशक, जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
11. प्रो० रवि मथाई, अहमदाबाद
12. फादर बोगार्ट, जेवियर संस्थान, रांची
13. अध्यक्ष, भारतीय लघु उद्योग संघ फेडरेशन, 23-बी/2, न्यू रोहतक रोड़, नई दिल्ली
14. श्री वी० पद्मनाभन, कार्यकारी निदेशक, गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय, दिंडीगल (तमिलनाडु)
15. श्री बृज मोहन लाल, मालिक, हीरो साइकिल, जी० टी० रोड़ लुधियाना (पंजाब)
16. सलाहकार (ग्रामीण विकास), योजना आयोग
17. सलाहकार (ग्राम और लघु उद्योग), योजना आयोग

सदस्य-सचिव

18 श्री ए० बी० आर० नायर, सलाहकार (श्रम और रोजगार) योजना आयोग

विचारार्थ विषय

(1) अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रकों में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उपाय और तरीके सुझाना।

(2) रोजगार कार्यालयों की पुन संरचना करने से संबंधित मामलों में सलाह देना ताकि वे स्व-रोजगार के कार्य का उचित प्रारंभ करने के इच्छुक व्यक्तियों और व्यक्ति समूहों का संवर्धन कर सकें।

(3) जिला ऋण योजनाओं प्रशिक्षण आधारिक संरचना विपणन की सुविधाओं और संदर्शन सेवाओं के एकीकरण के लिए जिला स्तर पर किए जाने वाले उपयुक्त उपायों के संबंध में सलाह देना।

3. यह समिति आवश्यकता होने पर रोजगार संवर्धन के किसी भी पहलू से संबंधित कोई भी अध्ययन विशेषज्ञ निकायों द्वारा करा सकती है।

4. इस समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। यह समिति संपूर्ण रूप में अथवा एक भाग के रूप में नई दिल्ली में अथवा किसी भी अन्य स्थान पर समिति के अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार बैठक कर सकती है।

5. समिति और/अथवा इसकी उप समितियों की बैठकों के संबंध में सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्तों/दैनिक भत्तों पर होने वाला व्यय उनके मूल विभागों/मंत्रालयों/संगठनों द्वारा वहन किया जाएगा। गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जिसका भुगतान योजना आयोग द्वारा किया जाएगा।

6. भारत सरकार आशा करती है कि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सरकारी और निजी क्षेत्रक उद्यम नियोक्ताओं और कामगारों के संगठन और सभी अन्य संबंधित संगठन इस समिति को अपना पूर्ण सहयोग और सहायता देंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और अन्य सभी संबंधित को भेजी जाए।

आर० एस० सक्सेना निदेशक (प्रशासन)

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 6 मार्च, 1981

संकल्प

सं० 19-6-80-पी० पी० एस० (खंड-2)—इस मंत्रालय के संकल्प 19-6/80-पी० पी० एस० दिनांक 21 अक्तूबर 1980 के क्रम में अब यह निर्णय किया गया है कि दल को 31-7-1981 तक रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि दिनांक 6-3-1981 के संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के मंत्रालयों और विभागों, योजना आयोग, मन्त्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का सचिवालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० एल० एन० राव, संयुक्त सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 1981

संकल्प

सं० एफ० 8-1/80-संस्कृत-2—इस मंत्रालय के दिनांक 12 मार्च 1973 के संकल्प संख्या 8-1/72-संस्कृत-II तथा दिनांक 17 अगस्त 1976 के समसंख्यक संकल्प का अधिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा 1 मार्च 1981 से केन्द्रीय संस्कृत परिषद् के स्थान पर केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड गठित करने का संकल्प किया जाता है जो इस प्रकार है —

(क) संरचना

बोर्ड की संरचना निम्नलिखित होगी :—

1. डा० पी० एन० कक्कठेकर, भूतपूर्व कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, ई-2/139, महावीर नगर, भोपाल (मध्य प्रदेश)	अध्यक्ष
2. प्रो० राजाराम शास्त्री, भूतपूर्व कुलपति, काशी विद्यापीठ, वाराणसी	सदस्य
3. पं० गुलाम दस्तगीर अ० बिराजदार उपाध्यक्ष, विश्व-संस्कृत-प्रतिष्ठानम् (पांडिचेरी) हजरत जंगली पीरी दरगाह, बरलाही दुग्धशाला के पीछे, संरक्षक कुटीर, हिल, बरली, बम्बई-18	सदस्य
4 डा० डी० एन० भार्गव, संस्कृत विभागाध्यक्ष, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर ।	सदस्य
डा० जे० पी० सिन्हा, अतिरिक्त सचिव, अखिल भारतीय संस्कृत परिषद् महात्मा गांधी मार्ग हजरत गंज, लखनऊ	सदस्य
6 पं० श्री चिन्तामणि मिश्र नीलकण्ठ निलयम सवर थाना रोड, पुरी	सदस्य
7. प्रो० गोविन्द गोपाल मुखोपाध्याय [संस्कृत के प्रोफेसर बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान ।	सदस्य
8. डा० एस० वेंकट सुब्रह्मण्य अय्यर [संस्कृत के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम ।	सदस्य
9 कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा (बिहार) ।	पदेन सदस्य
10. कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ।	पदेन सदस्य
11. कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।	पदेन सदस्य
12 शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, में संस्कृत के प्रभारी, संयुक्त शिक्षा सलाहकार/संयुक्त सचिव	पदेन सदस्य
13. निदेशक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान/संस्कृत के प्रभारी उप शिक्षा सलाहकार (संस्कृत)/उप सचिव,	पदेन सदस्य
14. वित्त सलाहकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, अथवा उनका मनोनीत व्यक्ति जिनका पद उप वित्त सलाहकार से कम नहीं होना चाहिए ।	पदेन सदस्य
15. सहायक शिक्षा सलाहकार (संस्कृत)	सदस्य सचिव

(ख) कार्यावधि :

बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यावधि 1 मार्च, 1981 से 3 वर्ष की होगी बशर्ते कि :—

(i) बोर्ड के पदेन सदस्य तब तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उस पद पर बने रहें, जिसके कारण वे बोर्ड के सदस्य हैं;

(ii) अन्य मनोनीत सदस्य भारत सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद पर बने रहेंगे—

(iii) भारत सरकार, जब कभी जरूरी समझे और अधिक गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत कर सकती

(iv) यदि बोर्ड में किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु आदि के कारण कोई स्थान खाली होता है, तो उस रिक्त स्थान को भारत सरकार नए सदस्य को नामजद करके भर सकती है और रिक्त स्थान में नामजद वह सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की बकाया अवधि के लिए पद पर बना रहेगा ।

(ग) कार्य

बोर्ड भारत सरकार को निम्नलिखित के संबंध में सलाह देगा :—

(i) देश में संस्कृत के प्रसार और विकास से संबंधित नीति के मामले,

(ii) विभिन्न स्तरों पर संस्कृत शिक्षा की पद्धति, पाठ्यक्रम, अध्यापन और इसी प्रकार के कार्यकलापों के समन्वय, पाठ्यचर्या परीक्षाओं और डिग्रियों के मानकीकरण, विभिन्न प्रकार के अध्यापकों की अर्हताओं तथा उनके प्रशिक्षण प्रबन्ध के संबंध में;

(iii) शिक्षा की पाठशाला पद्धति तथा निजी रूप से संचालित अनुसंधान संस्थाओं में सुधार तथा विकास के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों के संबंध में;

(iv) अनुरोध पर, उच्चतर पाठशालाओं में अनुसंधान विभाग शुरू करने तथा पाठशालाओं के छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां और वजीफे देने के प्रश्न के संबंध में;

(v) संस्कृत की बेहतर पाठ्य पुस्तकें तैयार करने तथा उन्हें प्रकाशित करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों के संबंध में;

(vi) पण्डितों के लिए राज्य सम्मान तथा पुरस्कार के संबंध में और इन सामानों एवं पुरस्कारों के लिए विख्यात संस्कृत अध्येताओं के नामों की सिफारिश करना;

(vii) संस्कृत के विकास और प्रसार के लिए सहायक अनुदान के संबंध में परिषद को भेजे गए मामलों के संबंध में; और

(viii) सारे देश की विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जा रहे संस्कृत अध्ययनों से संबंधित कार्य के समन्वय के संबंध में।

2. समितियां

बोर्ड, आवश्यकतानुसार, अपने कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए समितियां/उप समितियां गठित कर सकती है। इन समिति(यों)/उप-समिति(यों) के सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जाएंगे।

3. कोरम

बोर्ड/समितियों अथवा उप-समितियों की बैठकों का कोरम, बोर्ड/समितियों/उप समितियों के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मीर नसरूला, अपर सचिव

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 8th April, 1981

RESOLUTION

No. M-12038/1/81-LEM(EP).—The Sixth Five Year Plan, 1980—85, places a great deal of emphasis on employment generation and removal of poverty. The Plan relies on decentralised strategy for implementing employment—oriented programmes, schemes and projects particularly in the field of self-employment. For this purpose, it is proposed to organise a District Manpower Planning and Employment Generation Council in each District of the Country during the Sixth Plan period. The Council will be assisted by the District Employment Exchange, District Industries Centre, District Agricultural Office, Lead Bank, etc.

2. At the Centre, it has been decided to set up a high level Committee to oversee the functioning of District Councils and advise the Central Government on employment planning issues. The Committee will be termed as National Level Guidance Committee for Self-employment. Its composition and terms of reference are set out below :—

COMPOSITION

Chairman

1. Dr. M. S. Swaminathan, Member, Planning Commission.

Members

2. Secretary, Ministry of Labour.
3. Secretary, Ministry of Rural Reconstruction.
4. Secretary, Ministry of Industry.
5. Additional Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance.
6. Dr. M. Nanjundappa, Planning Secretary, Government of Karnataka.
7. Dr. R. K. Dar, Planning Secretary, Government of Uttar Pradesh.
8. Shri M. S. Palnitkar, Special Secretary (Planning), Government of Maharashtra.
9. Smt. Madhuri Shah, Chairman, University Grants Commission.
10. Dr. Gautam Mathur, Director, Institute of Applied Manpower Research, New Delhi.
11. Prof. Ravi Mathai, Ahmedabad.
12. Father Bogart, Xavier Institute, Ranchi.
13. The President, Federation of Association of Small Industries of India, 23-B/2, New Rohtak Road, New Delhi.
14. Shri V. Padmanabha, Executive Director, Gandhigram Rural University, Dindigal (Tamil Nadu).
15. Shri Brij Mohan Lal, Proprietor, Hero Cycles, G. T. Road, Ludhiana (Punjab).
16. Adviser (Rural Development), Planning Commission.
17. Adviser (V&SI), Planning Commission.

Member Secretary

18. Shri A. V. R. Char, Adviser (LEM), Planning Commission.

Terms of Reference :

(1) To suggest ways and means to encourage self-employment in all the sectors of the economy.

(2) To advise on matters relating to restructuring of employment exchanges to enable them to offer guidance to persons or group of persons desirous of starting self-employment ventures.

(3) To advise on suitable steps to be taken at the district level for integrating the District Credit Plans, training infrastructure, marketing facilities and guidance services.

3. The Committee may, depending on the requirements, get any study relating to any aspect of employment promotion carried out by expert bodies.

4. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee as a whole or in part may meet as often at New Delhi or any other place, as may be decided by the Chairman of the Committee.

5. The expenditure on TA/DA of official members in connection with the meetings of the Committee and/or its Sub-Committee, will be borne by the parent Departments/Ministries/Organisations. Non-official members will be entitled to TA/DA as admissible to Grade-I officers of the Government of India, which will be paid by the Planning Commission.

6. The Government of India trust that the State Government/Administrations of Union Territories, Public and Private Sector Undertakings, Organisations of Employers and Workers and all other concerned organisations will extend to the Committee their full co-operation and assistance.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the GAZETTE OF INDIA, Part-I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

R. S. SAXENA
Director (Administration)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 26th March 1981

RESOLUTION

No. 19-6/80-PPS(Vol. II).—In continuance of para 3 (f) of this Ministry's Resolution No. 19-6/80-PPS dated the 21st October, 1980, it has now been decided that the team will be required to submit reports by 31-7-1981.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution dated 6-3-81 be communicated to all the State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries and Departments of Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. L. N. RAO
Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 21st February 1981

RESOLUTION

No. F.8-1/80-SKT.2.—In supersession of this Ministry's Resolution No. 8-1/72-Skt.2 dated the 12th March 1973 of even number dated 17th August 1976, it is hereby resolved to constitute a Central Sanskrit Board, in place of Kendriya Sanskrit Parishad, with effect from 1st March 1981 as follows :—

(A) COMPOSITION

The composition of the Board would be as under :—

Chairman

1. Dr. P. N. Kawthekar
Ex-Vice Chancellor, Vikram University,
E-2/139, Mahavir
Nagar, Bhopal (M.P.).

Members

2. Prof. Rajaram Shastri,
EX.V.C., Kashi Vidyapeeth
Varanasi.

3. Pandit Gulam Dastgir A. Birajdar
Vice-Chairman,
Vishva Sanskrit
Pratishthanam (Pondicherry)
Hazarat Jangali Peer Dargah
Behind Barlahi Dugdhsala,
Sanskrit Kutir, Hill,
Worli, Bombay-18.

4. Dr. D. N. Bhargva
Head of the Deptt. of Sanskrit
Jodhpur University,
Jodhpur.

5. Dr. J. P. Sinha,
Additional Secretary,
Akhila Bharatiya Sanskrit
Parishad, Mahatma Gandhi
Marg, Hazarat Ganj,
Lucknow.

6. Pandit Sri Chintamani Misra
Neelakantha Nilyam,
Sadar Thana Road, Puri.

7. Prof. Gobinda Gopal
Mukhopadhyaya,
Prof. of Sanskrit,
Burdwan University,
Burdwan.

8. Dr. S. Venkitsubramania Iyer
Retired Prof. of Sanskrit
Kerala University,
Trivandrum,

Ex-Officio Members

9. Vice-Chancellor,
Kameshwar Singh Darbhanga
Sanskrit University,
Darbhanga (Bihar).

10. Vice-Chancellor,
Sampurnanand Sanskrit
University, Varanasi.

11. Vice-Chancellor,
Gurkul Kangri,
Vishwavidyalaya,
Haridwar.

12. Joint Educational Adviser/
Joint Secretary in the
Ministry of Education and Culture
Incharge of Sanskrit.

13. Director, Rashtriya Sanskrit
Sansthan/Deputy Educational
Adviser (Skt)/Deputy Secretary
Incharge of Sanskrit.

14. Financial Adviser to Ministry
of Education and Culture or
his nominee not below the rank
of Deputy Financial
Adviser.

Member-Secretary

15. Asstt. Educational Adviser
(Sanskrit)

(B) TENURE :

The tenure of the non-official members of the Board shall be 3 years calculated from the 1st March 1981 provided that :

(i) The ex-officio members of the Board shall continue as members so long as they hold office by virtue of which they are members of the Board;

(ii) other nominated members shall hold office during the pleasure of the Government of India.

(iii) the Government of India may nominate more non-official members as and when considered necessary;

(iv) If a vacancy arises on the Board due to resignation, death etc. of a Member, the same can be filled up by Government of India by fresh nomination and the member(s) nominated in that vacancy shall hold office for the remaining period of the tenure of three years.

(C) FUNCTIONS :

The Board will advise the Government of India :—

(i) On matters of policy pertaining to the propagation and development of Sanskrit in the country;

(ii) Regarding patterns of Sanskrit education at different levels, coordination of course, teaching and similar activities, standardisation of syllabuses, examinations and degrees, qualifications of different types of teachers and their training arrangements;

(iii) Regarding methods to be adopted for the improvement and development of Pathashala system of education and privately organised research Institutes;

(iv) When requested, on the question of adding research departments to higher Pathashalas and awarding research scholarships and stipends to the students of Pathashalas;

(v) Regarding methods to be adopted for the preparation and publication of improved Sanskrit text books;

(vi) Regarding the State Honours and Awards for Pandits and to recommend names of eminent Sanskrit Scholars for such Honours and Awards;

(vii) Regarding matters referred to the Parishad relating to grants-in-aid for the development and propagation of Sanskrit; and

(viii) Regarding coordination of the work relating to Sanskrit studies, which is being done by different institutions all over the country.

2. COMMITTEES :

The Board may set up Committees/Sub-Committee as it may deem necessary for the proper discharge of its functions. The members of these Committee(s)/Sub-Committee(s) shall be nominated by the Chairman of the Board.

3. QUORUM :

The quorum for the meetings of the Board/Committees or Sub-Committees shall be one-third of the total membership of the Board/Committees/Sub-Committees.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union-Territory Administrations, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Department of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MIR NASRULLAH, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981